

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3811

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2014/पौष 10, 1936

No. 381]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014/PAUSHA 10, 1936

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014

सं.एल-1/132/2013.—केविविआः केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003(2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शिवतयों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शिवतयों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2014 (जिसे इसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक
 आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2014 है।
- ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- 3. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन :
 - (1) मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (1) के उपखंड (ii) में "1.4.2014" अंकों के स्थान पर, "भारत सरकार द्वारा एपीएम गैस की कीमत के पुनरीक्षण की तारीख" शब्द रखे जाएंगे।
 - (2) मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (5) "ईंधन के रूप में एपीएम गैस" के सामने आने वाले "31.3.2014 तक भेजा गया 2.32 रुपए/किलोबाट घंटे के पश्चात् भेजा गया 5.64 रुपए/किलोबाट" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "भारत सरकार द्वारा एपीएम गैस के पुनरीक्षण की तारीख तक भेजा गया 2.82 रुपए/किलोबाट तथा तत्पश्चात् आयोग द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित की जाने वाली दर पर" शब्द तथा अंक रखे जाएंगे।
- 4. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनः
 - (1) मूल विनियम के विनियम ७ के खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगाः

'(1) समय-ब्लॉक के दौरान किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी/कम निकासी, इसके अनुसूचित निकासी के 12% से अनधिक या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, होगी; जब ग्रिंड फ्रिक्वेंसी "49.70 एचजेंड और उससे अधिक तथा 50.10 एचजेंड से कम" हैं':

परंतु यह कि किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी तब तक अनुन्नेय नहीं होगी जब तक ग्रिड फ्रिक्वेंसी "49.70 एचजेड से कम" है और किसी क्रेता द्वारा विद्युत की कम निकासी तब तक अनुन्नेय नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी "50.10 एचजेड और अधिक" है।

(2) मूल विनियम के विनियम 7 (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगाः

'7(2) समय-ब्लॉक के दौरान विक्रेता द्वारा विद्युत का कम अंतःक्षेपण/अधिक अंतःक्षेपण इस प्रकार के विक्रेता के अनुसूचित अंतःक्षेपण के 12% से अनधिक, या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, होगा जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी "49.70 एचजेंड और अधिक" तथा "50.10 एचजेंड से कम" है':

परंतु यह कि :

(i) विक्रेता द्वारा विद्युत का कम अंतःक्षेपण अनुङ्गेय तब तक नहीं होगा जब तक ग्रिड फ्रिक्वेंसी "49.70 एचजेंड से कम" है और विक्रेता द्वारा विद्युत का कोई अधिक अंतःक्षेपण तब तक अनुङ्गेय नहीं होगा जब तक ग्रिड फ्रिक्वेंसी "50.10 और उससे अधिक" है।

(ii) परीक्षण और प्रारंभ की जा रही गतिविधियों के दौरान यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व उत्पादन फेन्द्र द्वारा विद्युत के किसी इन्हर्म अंतःशेषण को ६ मास से अनिधक अवधि के लिए या संयोजकता विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुज्ञात

विस्तारित समय के लिए उक्त विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा से छूट होगी।

(iii) स्टार्ट-अप गतिविधियों के लिए यूनिट की वाणिन्यिक प्रचालन की तारीख के पूर्व उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत की किसी निकासी को उक्त विनिर्देष्ट मात्रा सीमा से तब छूट होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी "49.70 एवजेड और उससे अधिक" है।

5. मूल विनियम के अनुबंध II का संशोधन :

- (1) मूल विनियम के अनुबंध ॥ के पैरा क में, 'देय' शब्द के स्थान पर 'प्राप्य' शब्द रखा जाएगा,
- (2) मूल विनियम के अनुबंध || के पैरा ग में 'डी 12/150' अक्षर और अंकों के स्थान पर 'डीटीबी' अक्षर रखे जाएंगे।

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/ असा./150 /14/242]

टिप्पणः मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड ४, क्रम संख्या ०६ तारीख 7.1.2014 को प्रकाशित किए गए थे, तथा मूल विनियमों के शुद्धिपत्र को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड ४ क्रम संख्या 52, तारीख 17.2.2014 को प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2014

No. L-1/132/2013/CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 (hereinafter referred to as "The Principal Regulations"), namely:

- 1. Short title and commencement.—(1)These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) (First Amendment) Regulations, 2014.
- 2. These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. Amendment of Regulation 5 of the Principal Regulations:
 - (1) In sub-clause (ii) of clause (1) of Regulation 5 of Principal Regulations, the figure '1.4.2014' shall be substituted by the words 'the date of revision of price of APM gas by the Government of India'.
 - (2) In clause (5) of Regulation 5 of Principal Regulations, the words and figures "up to 31.3.2014 and thereafter ₹ 5.64/kWh sent out" appearing against 'APM gas as fuel' shall be substituted by the words "up to the date of revision of price of APM gas by Government of India and thereafter, at the rate to be notified by the Commission separately".
- 4. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulations:
 - (1) Clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:
 - '(1) The overdrawal/underdrawal of electricity by any buyer during the time block shall not exceed 12% of its scheduled drawal or 150 MW, whichever is lower, when grid frequency is "49.70 Hz and above and below 50.10 Hz";

Provided that no overdrawal of electricity by any buyer shall be permissible when grid frequency is "below 49.70 Hz" and no underdrawal of electricity by any buyer shall be permissible when grid frequency is "50.10 Hz and above".

- (2) Clause (2) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:
- "(2) The under-injection/over-injection of electricity by a seller during a time-block shall not exceed 12% of the scheduled injection of such seller or 150 MW, whichever is lower when grid frequency is "49.70 Hz and above and below 50.10 Hz":

Provided that

- (1) No under injection of electricity by a seller shall be permissible when grid frequency is "below 49.70 Hz" and no over injection of electricity by a seller shall be permissible when grid frequency is "50.10 Hz and above".
- (2) Any infirm injection of power by a generating station prior to COD of a unit during testing and commissioning activities shall be exempted from the volume limit specified above for a period not exceeding 6 months or the extended time allowed by the Commission in accordance with Connectivity Regulations.
- (3) Any drawal of power by a generating station prior to COD of a unit for the start up activities shall be exempted from the volume limit specified above when grid frequency is "49.70 Hz and above".
- 5. Amendment of Annexure-II of the Principal Regulations:
 - (1) In Para A of Annexure-II of the Principal Regulations, the word 'Payable' shall be substituted by the word 'Receivable'.
 - (2) In Para C of Annexure-II of the Principal Regulations, the letter and figure 'D 12/150' shall be substituted by the letter 'Dtb'.

SHUBHA SHARMA, , Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./150/14/242]

Note: The Principal Regulations were published on 7.1.2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Serial No. 06, and corrigendum thereof was published (on 17.2.2014) in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 at Serial No. 52.